झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची
मध्य विद्यालय बी०एम०पी०-1 डोरण्डा परिसर, राँची-834002
Email- jepranchi@gmail.com "समग्र शिक्षा अभियान"

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, जिला कार्यालय, रांची

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन से संबंधित सूचना

विभागीय आदेश संख्या 4113 दिनांक 19.10.2023 एवं पत्रांक 3863 दिनांक 10.10.2023 के आलोक में जिला में संचालित 02 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर पूर्णतः अस्थायी एवं अल्प कालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अहर्ताधारी महिला/पुरूष अभ्यर्थियों (बालक विद्यालय, जो **बरियातु**, राँची में संचालित है, मे महिला एवं पुरूष तथा बालिका विद्यालय, जो ओरमांझी में संचालित है, के लिए **सिर्फ** महिला अभ्यर्थियों) से दिनांक 30.12.2023 से **10.01.2024** तक कार्यालय के वेबसाईट www.dseranchi.com पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है । ऑनलाईन भरे हुए आवेदन का प्रिंट ऑउट निकालते हुए अपने सभी अपलोड किए गए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्वः अभिप्रमाणित छाया प्रति को एक लिफाफे में डालते हुए उसे दिनांक **15.01.2024** तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, राँची, मध्य विद्यालय बी.एम.पी डोरण्डा परिसर, राँची पिन कोड 834002 पर निबंधित डाक से भेजना सुनिश्चित करेंगे । लिफाके के उपर नेताजी सुभाष चन्द्र आवासीय विद्यालय में चयन, **Online Registration No**, आवेदित पद का नाम एवं कोटि, **School Category (Boys/Girls)** निश्चित रुप से अंकित होना अनिवार्य होगा ।

प्रकाशित विज्ञापन की विस्तृत विवरणी, यथा चयन की शर्ते,अहर्ता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति एवं अन्य दिशा निदेश जिले के वेबसाईट www.dseranchi.com पर उलब्ध है ।

ह०/--

जिला शिक्षा पदाधिकारी--सह--
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राँची

उपायुक्त--सह--अध्यक्ष
झारखंड शिक्षा परियोजना, राँची

ज्ञापांक 1801 राँची दिनांक 27/12/2023

प्रतिलिपि :-- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि उपरोक्त विज्ञापन को दिनांक 28/12/2023 के संस्करण में दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा की जाए ।

Advt No.
302098
27/12/23

27/12/23
जिला शिक्षा पदाधिकारी--सह--
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राँची

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची
मध्य विद्यालय बी०एम०पी०—1 डोरण्डा परिसर, राँची—834002
Email- jepranchi@gmail.com "समग्र शिक्षा अभियान"

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन से संबंधित सूचना

विभागीय आदेश संख्या 4113 दिनांक 19.10.2023 एवं पत्रांक 3863 दिनांक 10.10.2023 के आलोक में जिला में संचालित 02 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों (बरियातु एवं ओरमांझी) में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु **योग्य एवं अहर्ताधारी अभ्यर्थियों (बालक विद्यालय, जो बरियातु,राँची में संचालित है, मे महिला एवं पुरूष तथा बालिका विद्यालय, जो ओरमांझी में संचालित है, के लिए सिर्फ महिला अभ्यर्थियों)** से निम्न अंकित शर्तो के अधीन रिक्त शैक्षिक पदों के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र बेबवाईट **www.dseranchi.com** के माध्यम से दिनांक **30.12.2023 से 10.01.2024** तक आमंत्रित किए जाते है । ऑनलाईन भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालते हुए अपने सभी अपलोड किए गए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र , जो अपलोड किया गया है की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति को एक लिफाफे में डालते हुए दिनांक **15.01. 2024** के अपराहन्न 05 बजे तक सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से **जिला कार्यकम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, राँची, मध्य विद्यालय बी.एम.पी डोरण्डा परिसर, राँची पिन कोड 834002** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

रिक्ति की विवरणी :

Sl No	Name of Post	Vacancy	UR	BC-1	BC-2	SC	ST	EWS	Total
01	पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिका – भाषा (हिन्दी)	02	01	00	00	00	01	00	02
02	पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिका – भाषा (अंगेजी)	02	01	00	00	00	01	01	02
03	पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिका – गणित	02	01	00	00	00	01	00	02
04	पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिका – विज्ञान (जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान)	02	01	00	00	00	01	00	02
05	पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिका – विज्ञान (भौतिक विज्ञान एवं गणित)	02	01	00	00	00	01	00	02
06	पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिका – (सामाजिक विज्ञान)	02	01	00	00	00	01	00	02
07	पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिका – (शारीरिक शिक्षा)	02	01	00	00	00	01	00	02
08	पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिका – (कम्पयूटर)	02	01	00	00	00	01	00	02
09	पूर्णकालिक लेखापाल	02	01	00	00	00	01	00	02
10	सपोर्ट स्टाफ (आदेशपाल)	02	01	00	00	00	01	00	02
11	सपोर्ट स्टाफ (रात्रि प्रहरी)	02	01	00	00	00	01	00	02
12	मुख्य रसोईया	02	01	00	00	00	01	00	02
13	सहायक रसाईया	06	03	01	00	00	02	00	06

2. लिफाफे के उपर लाल रंग से **Online Registration No एवं विद्यालय का नाम (बालक/बालिका)** निश्चित रूप से अंकित होना अनिवार्य होगा । अंतिम तिथि के बाद किसी आवेदन पत्र स्वीकार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएगें । ऑनलाईन फार्म भरने के दौरान अपने Matric/Inter/Graduation/B.Ed/D.Eled/B.Ped/Tet/Experience Certificate से संबंधित अंकपत्र/दस्तावेज/जाति प्रमाण पत्र/आवासीय प्रमाण पत्र के डेटा को उनके लिए निर्धारित कॉलम में इंट्री करते हुए अंकपत्र/दस्तावेज को अपलोड करना अनिवार्य होगा । अंकपत्र/दस्तावेज को अपलोड नहीं करने की स्थिति में मेधांक निर्धारण के समय संबंधित परीक्षा में शून्य अंक प्रदान किया जाएगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें ।

3. चयन हेतु अहर्ता एवं निर्धारित परिलब्धि :–

क्र०स०	पदनाम	वांछित अहर्त्ता	देय परिलब्धि
01	पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिका – भाषा (हिन्दी)	**1. शैक्षणिक अहर्ता** : किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय **(जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका यथा क्रमांक 1,2,3,4,5 एवं 6 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो)** में संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अहर्ता अनिवार्य हैं । क्रम संख्या 07 से 08 में अंकित पदों हेतु किसी भी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक हो सकते है । अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी	
02	पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिका – भाषा (अंगेजी)		
03	पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिका – गणित		
04	पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिका – विज्ञान (जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान)		
05	पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिका – विज्ञान (भौतिक विज्ञान एवं गणित)		

06	पूर्णकालिक शिक्षक / शिक्षिका – (सामाजिक विज्ञान)	। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी । **कम्प्यूटर शिक्षक / शिक्षिका के लिए न्यूनतम अहर्ता** BCA/B.Sc in Computer Science/Any Graduate with 2 years Diploma in Computer Science from Recognized Institute of AICTE होगी । **2. प्रशैक्षणिक अहर्ता** :– मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारम्भिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता । शारीरिक शिक्षिका के लिए Bachelor in Physical Education/Degree in Physical Education अनिवार्य होगा । **3. शिक्षक पात्रता परीक्षा** :– i). राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (NCTE) के द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षक / शिक्षिका हिन्दी भाषा, गणित, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान तथा समाजिक शिक्षा के पदों को कक्षा 01 से 08 हेतु वर्गीकृत किया गया है । अतः इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है । ii).कक्षा 09 से 10 हेतु वर्गीकृत किए गए पद यथा – पूर्णकालिक शिक्षक / शिक्षिका विज्ञान विषय समूह (भौतिकी एवं गणित), पूर्णकालिक शिक्षक / शिक्षिका अंग्रेजी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्णता की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी । iii). पूर्णकालिक शिक्षक / शिक्षिका कम्पयूटर तथा शारीरिक शिक्षक / शिक्षिका के पद हेतु (JTET) उत्तीर्णता की अनिवार्य नहीं होगी । 4. शिक्षक / शिक्षिकाओं की नियुक्ति एवं परिलब्धि :– शिक्षक / शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर किया जाएगा तथा उन्हें निर्धारित परिलब्धि प्रदान की जाएगी । 5. शिक्षक / शिक्षिकाओं के पद पर चयन हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों में से सर्वाधिक योग्यता एवं प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी । प्रत्येक पद के लिए 05 अभ्यर्थियों को अंतर्वीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा तथा उपरोक्त प्रकिया के अनुसार चयन समिति के द्वारा मेधा सूची का निर्माण कर मेधा के अनुसार चयन किया जाएगा ।	1. शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू० 15,840 / – प्रतिमाह देय होगा । 2. संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रू० की वार्षिक वेतन वृद्वि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी ।
07	पूर्णकालिक शिक्षक / शिक्षिका – (शारीरिक शिक्षा)		
08	पूर्णकालिक शिक्षक / शिक्षिका – (कम्पयूटर)		
09	02 पूर्णकालिक लेखापाल–सह–कम्पयूटर ऑपरेटर	1. किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान / विश्वविद्यालय से बी.कॉम प्रतिष्ठा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्णता । 2. तकनीकि अहर्ता :– किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से एक वर्षीय कम्पयूटर कोर्स में पी.जी.डी.सी.ए / डी.सी.ए / समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता । 3. हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्पयूटर टाईपिंग के साथ टैली साफ्टवेयर (Tally Software) की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए ।	1. संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू० 11,880 / – प्रतिमाह देय होगी । 2. संविदा विस्तार की स्थिति में 150 / – रू० की वार्षिक वेतन वृद्वि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी ।
10	सपोर्ट स्टाफ (02) (आदेशपाल)	शैक्षणिक अहर्ता :– मैट्रिक	1. संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू०

			6000/– प्रतिमाह देय होगी । 2. संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रू० की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी ।
11	सपोर्ट स्टाफ (02) (रात्रि प्रहरी)	शैक्षणिक अहर्ता :– मैट्रिक	1. संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू० 6000/– प्रतिमाह देय होगी । 2. संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रू० की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी ।
12	मुख्य रसोईया (02)	शैक्षणिक अहर्ता :– 08वीं पास	1. संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू० 7200/– प्रतिमाह देय होगी । 2. संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रू० की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी ।
13	सहायक रसोईया (06)	शैक्षणिक अहर्ता :– 08वीं पास	1. संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू० 5400/– प्रतिमाह देय होगी । 2. संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रू० की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी ।

4. चयन संबंधी दिशा–निर्देश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्नवत् है :–

I. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु निर्धारित अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थियों को राज्य कार्यकारिणी की 52वी. एवं 65वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में चयन में प्राथमिकता दी जाएगी जिसके आलोक में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों के.जी.बी.भी/जे.बी.ए.भी/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान/साक्षर भारत/महिला समाख्या में कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में उपरोक्त कार्यक्रमों के अधीन पद की कार्यअवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी । साथ ही शैक्षणिक अहर्ता में न्यूनतम 05 प्रतिशत की छूट 10 वर्ष की सेवा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमों किए जाने की स्थिति में प्रदान की जाएगी । इन कर्मियों को राज्य कार्यकारिणी के निर्णय के आलोक में चयन में प्राथमिकता हेतु कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं एवं गैर–शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों के समरूप पदों पर ही एक वर्ष के कार्यकाल के 01 वर्ष के आधार पर कुल कार्यकाल की गणना कर परीक्षा में प्राप्त अंक में अतिरिक्त अंक जोड़ा जाएगा।

II. जिन विद्यालयों में सिर्फ बालिकाओं का नामांकन है वहां पर चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्न माने जाएंगे।

III. चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक–एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा। शिक्षक/शिक्षिकाओं एवं अन्य गैर शैक्षणिक कर्मियों के कार्य संतोषप्रद नही पाये जाने पर संविदा की समाप्ति का निर्णय लेने हेतु भी जिला स्तरीय चयन समिति सक्षम प्रधिकार होगी।

IV. सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। चयन में कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय आरक्षण के नियम का पालन किया जाएगा।

V. सभी शिक्षक/शिक्षिकाओं एवं लेखापाल को आवासीय परिसर में रहना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची
मध्य विद्यालय बी०एम०पी०–1 डोरण्डा परिसर, राँची–834002
Email- jepranchi@gmail.com "समग्र शिक्षा अभियान"

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

5. आयु सीमा :–

I. चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी।

II. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक सं० 29 दिनांक 04.01.2021 झारखंड सरकार के आलोक में कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत् होगी :–

SI No	Category	Maximum Age Limit
01	Unreserved Category	35
02	Female (All Category - UR/EWS/BC-I/BC-II)	38
03	Extremely Backward Classes (Annexure-I) / Backward Classes (Annexure-II)	37
04	SC/ST (Male/Female)	40
05	Person with Bench mark disability (PwBD)	A relaxation of 10 years in their respective category.

III. अनुभवी महिला (Ex-Serviceman) को अपनी कोटि में 05 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी ।

IV. उपरोक्त कंडिका–4 (I एवं II) के अधीन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय में पूर्व से दैनिक मानेदय पर अंशकालिन/पूर्णकालीक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी को भी उनके प्रत्येक कार्यवर्ष हेतु एक वर्ष की उम्र सीमा में छूट देय होगी ।

V. उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 01.07.2023 के आधार पर की जायेगी ।

6. ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक :–

I. सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्वः अभिप्रमाणित प्रमाणपत्र की छाया प्रति (जिसे अपलोड किया जाना अनिवार्य है) संलग्न की जाएगी ।

II. कंडिका 04 एवं 05 के आलोक में अनुभव प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति (जिसे अपलोड किया जाना अनिवार्य है) संलग्न की जाएगी ।

III. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति (जिसे अपलोड किया जाना अनिवार्य है) संलग्न की जाएगी ।

IV. झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्वःअभिप्रमाणित छाया प्रति (जिसे अपलोड किया जाना अनिवार्य है) संलग्न की जाएगी।

6. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय, एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा।

7. अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा । चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा।

8. अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित/रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक अथवा जिले विशेष के चयन हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, झारखंड शिक्षा परियोजना, राँची को सुरक्षित रहेगा ।चयन से संबंधित सभी दिशा निदेश उपरोक्त वर्णित वेवसाईट www.dseranchi.com पर उपलब्ध रहेगें तथा अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे समय समय पर जानकारी हेतु वेवसाईट का अवलोकन करते रहेंगे ।

9. अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

ह०/–

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यकम पदाधिकारी, राँची

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
झारखंड शिक्षा परियोजना, राँची